

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

मनीष आनंद,
अवर सचिव (प्रबंधन)।

सेवा में,

ईमेल

कार्यपालक अभियंता,
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल,
काढ़ागोला, कटिहार।

पटना/दिनांक-

विषय:- CWJC No. 9628/2017 अंजनी कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के मामले माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-17.08.2026 को पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग:- सरकारी अधिवक्ता -07 पटना उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-23087 दिनांक-27.08.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि वर्ष 2014 एवं 2015 में निर्गत विभिन्न विभागीय आदेशों के द्वारा जल संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन कनीय अभियंता (मूल कोटि) संवर्ग के पदाधिकारियों/कर्मियों को उनकी नियमित सेवा 20 वर्ष पूर्ण किये जाने के उपरान्त वेतन बैंड (पी0बी0-3) रुपये 15600-39100 ग्रेड-पे0 रुपये 6600/- में द्वितीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

(2) कालान्तर में वित्त विभाग के पत्रांक-3655 दिनांक-10.04.2015 एवं वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के अनुपालन में विभागीय आदेश ज्ञापांक-9/स्था0-01-21/2015-4447 दिनांक-06.12.2017 एवं आदेश ज्ञापांक-9/स्था0-01-21/2015-1757 दिनांक-17.04.2023 द्वारा वर्ष 2014 एवं 2015 के विभिन्न विभागीय आदेश से प्रदत्त ग्रेड-पे0 (पी0बी0-3) 6600/- को संशोधित करते हुए ग्रेड-पे0 (पी0बी0-3) 5400/- प्रदत्त किया गया तथा विभागीय पत्रांक- 2471 दिनांक 02.07.2024 द्वारा अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली के बिन्दु पर विधि सम्मत् निर्णय लेते हुए सभी संबंधित कार्यालयों को इस संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किया गया।

(3) CWJC No.-20160/2021 श्याम बिहारी शर्मा एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक-05.01.2022 को पारित न्याय निर्णय के विरुद्ध वित्त विभाग, पटना द्वारा LPA No.-172/2022 दायर किया गया, जिसमें दिनांक- 26.09.2024 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा अंतिम न्याय निर्णय दिया गया।

(4) LPA No.-172/2022 में दिनांक 26.09.2024 को पारित न्याय निर्णय के विरुद्ध कतिपय वादियों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में SLP (C) No. 31133/2024 श्याम बिहारी शर्मा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (LPA No.-172/2022 में दिनांक 26.09.2024 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना में पारित अंतिम न्यायादेश से उदभूत) उक्त में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 06.01.2025 को अंतरिम आदेश पारित हुआ, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत है :-

2. **Application seeking impleadment is rejected. It goes without saying that the applicant(s) who have filed the application seeking impleadment, may take recourse to any other remedy, as may be permissible under the law.**
3. **Issue notice, returnable after four weeks.**
4. **In the meantime, the operation and effect of the impugned judgment and order, is stayed till the next date of hearing.**

कृ०पृ०उ०

(5) इसी विषय से संबंधित अन्य वाद यथा CWJC No. 9628/2017 अंजनी कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक-17.08.2026 को पारित अंतरिम आदेश का कार्यशील अंश निम्नवत् है:-

4. Learned counsel for the State-respondents submits that time may be granted to file a supplementary counter affidavit in this matter.

5. In the meantime, there shall be no recovery to be made from the petitioner.

6. Put up this matter after four weeks for further consideration.

अतः उपरोक्त वर्णित स्थिति में विषयांकित मामले से संबंधित वाद माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन रहने के कारण CWJC No. 9628/2017 अंजनी कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक-17.08.2026 को पारित अंतरिम न्याय निर्णय के आलोक में विभागीय पत्र सं0- 2471 दिनांक 02.07.2024 को अगले आदेश तक वादी के परिपेक्ष्य में तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(मनीष आनंद)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, कटिहार/अधीक्षण अभियंता, महानंदा बाढ़ नियंत्रण अंचल, कटिहार/श्री अंजनी कुमार, पिता-देवेन्द्र प्रसाद सिंह, पता-फ्लैट नं0- 402, विशाल अपार्टमेंट, रामकृष्णा अवेन्यु, राजेन्द्र नगर पटना-800016 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक- 5365

पटना/दिनांक- 14/9/2026

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित सभी पदाधिकारियों के ईमेल पता पर भेजने हेतु प्रेषित।

M. D. S. 11/09/26
अवर सचिव (प्रबंधन)।